PRESS RELEASE

ऑटो सैक्टर में हर वर्ष श्रमिकों के साथ होते हैं हज़ारों हादसे, लगती हैं गंभीर चोटें: एक राष्ट्रीय संकट (चौथी वार्षिक श्रमिक दुर्घटना रोकथाम रिपोर्ट- **CRUSHED 2022** का विमोचन)|

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन की फ्लैगशिप वार्षिक श्रमिक दुर्घटना रोकथाम रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण- CRUSHED22 की मुख्य बातें- 6 प्रमुख राज्यों से ऑटोमोबाइल सैक्टर में होने वाले हादसों और लग रही गंभीर चोटों पर राष्ट्रीय विवरण (डाटा)- युद्धस्तर पर उद्योग-सरकार के समन्वित प्रयासों की सिफारिश.

SII की रिपोर्ट CRUSHED22 का विमोचन चोटग्रस्त श्रमिकों के एक समूह के साथ मुख्य वक्ता प्रोफैसर सूर्य देव, Macquarie स्कूल आफ लौमें प्रोफैसर तथा बिजनैस & ह्यूमन राइट्स जरनल में संपादक, और पैनल सदस्यों दिनेश वेद पाठक, ACMA, रामाप्रिया गोपालाकृष्णन, तमिल नाडु उच्च न्यायालय में श्रमिक अधिवक्ता, तथा दिव्या वर्मा, निदेशक, सैंटर फार लेबर, आजीविका ब्यूरो, द्वारा किया गया.

चौथी वार्षिक दुर्घटना रोकथाम रिपोर्ट CRUSHED22 वास्तविक अर्थों में पहला राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में ऑटो सैक्टर में श्रमिकों के साथ हो रहे हादसों और लग रही चोटों का विवरण और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है.

रिपोर्ट को एक राष्ट्रीय आनलाइन कार्यक्रम में जारी किया गया और इसमें मानेसर और फरीदाबाद, हरियाणा, और पुणे, महाराष्ट्र से चोटग्रस्त श्रमिक साथ जुड़े.

ITC Apartment, 2nd Floor, Near Dena Bank, Village and Post Manesar, Gurugram, Haryana-122051
www.safeinindia.org, email: team@safeinindia.org, Ph: 9650464834

Safe in India Foundation ("SII") provides free of charge assistance to injured workers, mostly in auto-sector supply chain, currently in Gurugram-Manesar, in their ESIC healthcare and claims. SII activities are funded by supporters and donors, mostly from IIM Ahmedabad and IIT Roorkee, concerned about the well-being and productivity of millions of Indian workers at risk. SII has no income expectations or commercial partnerships. The co-founders do not charge SII for their time and services.

Safe in India Foundation

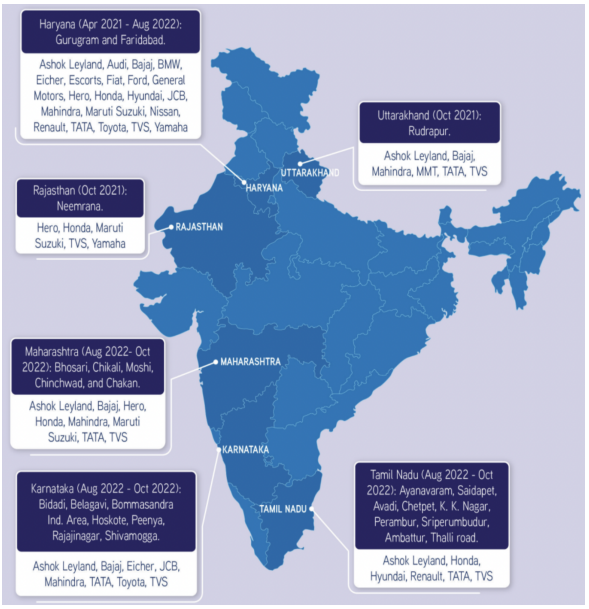

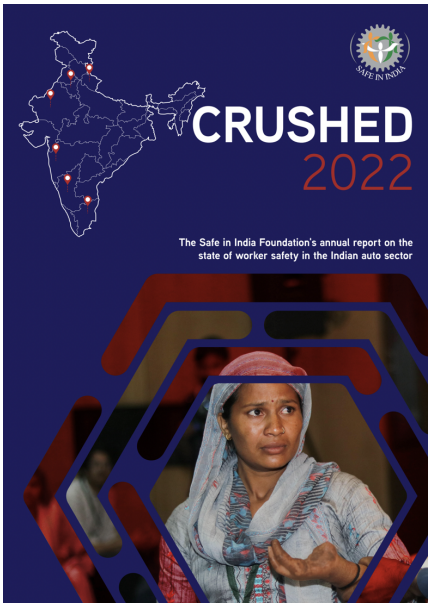

#CRUSHED22 ने अपना क्षेत्र विस्तार करते हुए उत्तर में हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान, दक्षिण में तमिल नाडु और कर्नाटक, और पश्चिम में महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत से डाटा का विश्लेषण प्रस्तुत क्या है.

सेफ इन इंडिया की सुरक्षा और नीति टीम ने उद्योग (ऑटो सैक्टर निर्माताओं, SIAM और ACMA) और केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत आने वाले मंत्रालयों द्वारा व्यवस्थागत कदम उठाये जाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. 6 राज्यों के 20 से ज़्यादा निर्माताओं OEMs के सप्लाई चेन के निचले स्तरों पर गंभीर हादसे हो रहे हैं. श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 6 राज्यों के शीर्ष 2/3 निर्माताओं OEM में निम्न शामिल हैं-

हरियाणा में मारुति-सुजुकी, हीरो और हांडा

पुणे, महाराष्ट्र में टाटा और महिंद्रा

चेन्नई, तमिल नाडू में TVS, अशोक लीलैंड और टाटा

कर्नाटक में टोयोटा, टाटा और अशोक लीलैंड

रुद्रपुर, उत्तराखंड में टाटा, बजाज और महिंद्रा

नीमराना, राजस्थान में हांडा, मारुति-सुजुकी और हीरो.

2. यह केवल ऑटो सप्लाई कलपुर्जे आपूर्ति करने वाले छोटे टियर 2 और टियर 3 की समस्या नहीं है. इनमें से 20 प्रतिशत मामले ACMA सदस्यों के कारखानों में होते हैं (ये कुछ सबसे बड़े कारखाने/सप्लायर हैं और ज़्यादातर ऑटो सैक्टर ब्रैंडों के टियर 1 सप्लायर हैं).

3. हादसों के आधिकारिक आँकड़े उन मामलों से भी बहुत कम हैं जो SII द्वारा हरियाणा और संभावित रूप से अन्य राज्यों में मदद पा चुके हैं. वास्तव में समस्या आधिकारिक आँकड़ों से बहुत ज़्यादा गंभीर है.

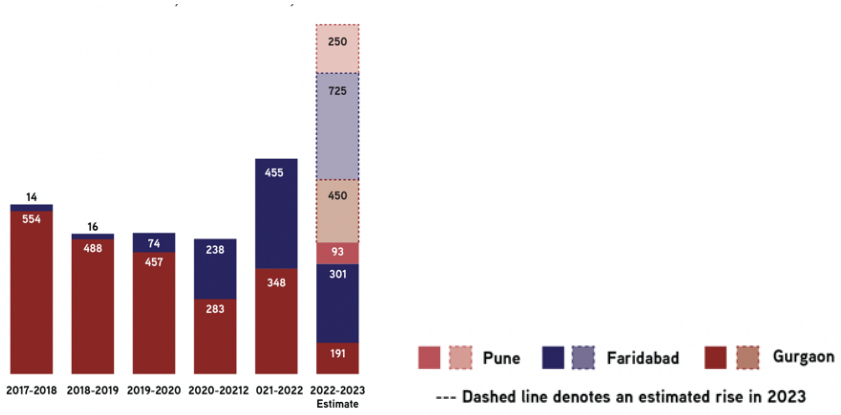

चित्र: SII से मदद पाये चोटग्रस्त श्रमिक

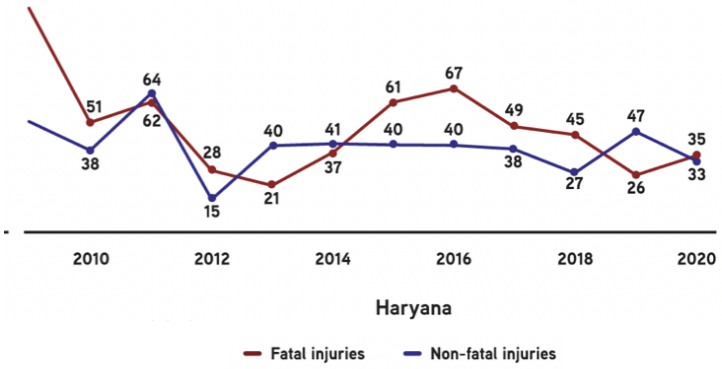

चित्र: सरकारी जानकारी पोर्टल पर रिपोर्ट की गई चोटों की संख्या (DG FASLI)

4. कई वर्षों से हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में कारखानों के निरीक्षणों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है. आर्थिक दंड अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिये पर्याप्त नहीं है.

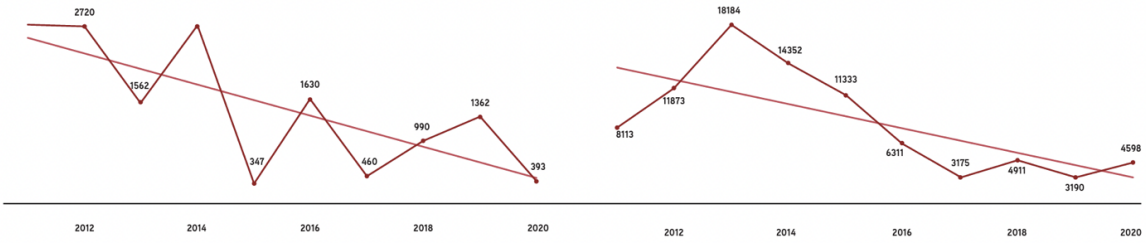

Reducing number of Industrial Safety and Health department's factory inspections in Haryana and Maharashtra

5. मशीनों पर होने वाले हादसों में एक बड़ी संख्या सहायकों के साथ होती है, जिन्हें कानून के अनुसार मशीनें चलाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता.

6. नियमों से ज़्यादा काम (अति श्रम): लगभग 50 प्रतिशत से ज़्यादा चोटग्रस्त श्रमिकों ने सप्ताह में 6 दिन 12 घंटों की शिफ्ट के बारे में बताया, जहाँ ओवर टाइम के लिये उपयुक्त मेहनताना भी नहीं दिया जाता.

7. आमतौर पर अंगुलियों को लगने वाली क्रश चोट में चोटग्रस्त श्रमिक की औसतन दो (2.01) अंगुलियों को क्षति पहुँचती है. लगभग 60-70 प्रतिशत चोटग्रस्त श्रमिक बाद में भी अंगों की हानि की सूचना देते हैं, जिससे निरंतर जोखिमपूर्ण कार्य स्थितियों का संकेत मिलता है.

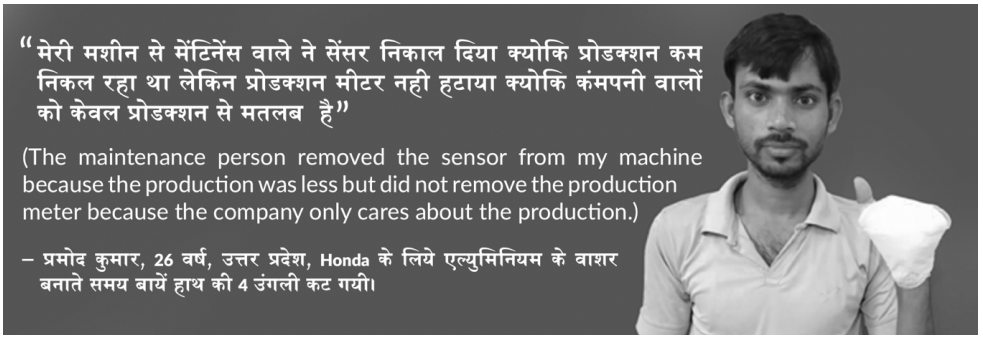

8. हरियाणा में 80 प्रतिशत से ज़्यादा चोटग्रस्त श्रमिक बताते हैं कि हादसे के समय वे जिस मशीन पर काम कर रहे थे उसमें सेफ्टी सैंसर नहीं लगे थे, और जिन पावर प्रैस मशीनों पर काम करते समय वे चोटग्रस्त हुए, उन्हें ज़रूरी निरीक्षण के बिना ही चलाया जा रहा था.

9. ESIC (राष्ट्रीय बीमा)संबंधी दुख-परेशानी: 60-70 प्रतिशत ऑटो सैक्टर के चोटग्रस्त श्रमिकों को उनके E-पहचान पत्र हादसे के बाद ही प्राप्त हुए जबकि नियोक्ता उनके योगदान नियमित रूप से एकत्र करते हैं. ESIC पहचान पत्र नौकरी के पहले दिन ही दे दिये जाने चाहिये, जिससे श्रमिक उसी दिन से ESIC द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सेवा के अधिकारी बन सकें.

10. हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में ज़्यादातर चोटग्रस्त श्रमिकों को सबसे पहले किसी निजी अस्पताल में ले जाया गया और केवल बाद में ही ESIC के अस्पतालों में ले जाया गया, हालाँकि इस मामले में महाराष्ट्र बेहतर पाया गया.

SII ने युद्धस्तर पर सामूहिक और रूपांतरित कदम उठाये जाने पर ज़ोर दिया**.**

SII सेफ्टी टीम द्वारा सीमा संचालन, नीतियों, SIAM-ACMa, और सरकारी मंत्रालयों के लिये सिफारिशें.

मुख्य सिफारिशों में निम्न शामिल हैं-

-सप्लाई चेन में निचले क्रम में श्रमिकों की सुरक्षा की OEM बोर्ड (समिति स्तर) की ज़िम्मेदारी.

-ऑटो उद्योग का संयुक्त कार्य दल.

-SIAM और ACMA की सेफ्टी टीमों का स्थाई संयुक्त कार्य दल.

-कारखानों के ईमानदार, कठोर निरीक्षण, दुर्घटना की जानकारी का ज़्यादा पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना, और साथ ही एक गोपनीय श्रमिक दुर्घटना हैल्पलाइन

-SDG 8.8 अनुसार जानकारी प्रदान करना

-सुरक्षा के उद्योग मानक स्थापित करना

Safe in India Foundation

-श्रमिकों को नौकरी के पहले ही दिन ESIC पहचान पत्र मिल जाने चाहिये

-अनुबंध और प्रवासी श्रमिकों के लिये सुरक्षा नीतियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनेक ऑटो सैक्टर ब्रांडों ने CRUSHED2019 के बाद अपनी नीतियों में सुधार किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जैसा कि निम्न चार्ट प्रदर्शित करता है:

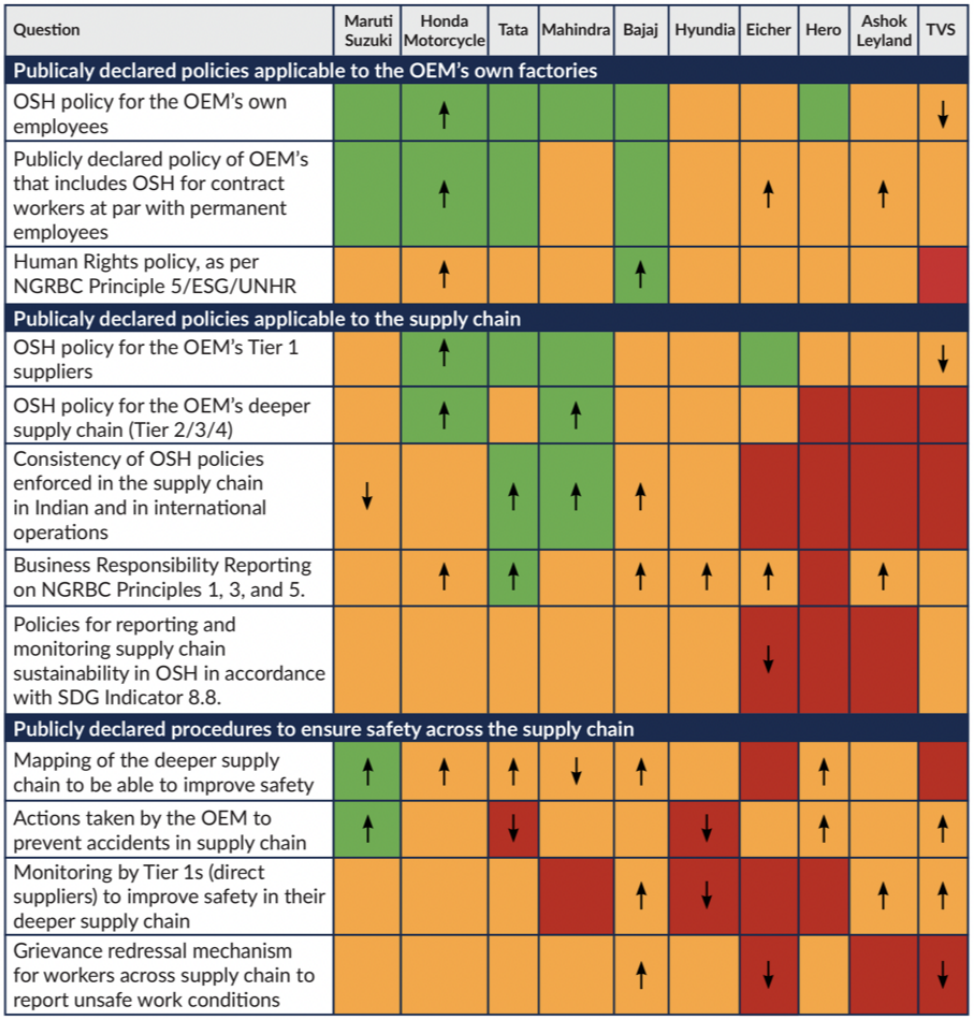

CRUSHED2022 रिपोर्ट यहाँ संलग्न है.

सेफ इन इंडिया परिचय

2014 में प्रकाशित एक समाचार वृतांत कथा -कि कैसे भारतीय कारें टूटी और कटी अंगुलियों की असैम्बली लाइन पर बनी होती हैं- ने IIM अहमदाबाद के तीन पूर्व छात्रों को भाव विह्वल कर दिया और सेफ इन इंडिया की स्थापना के लिये प्रेरित किया. पिछले वर्षों में SII ने मुख्यतः चार मोर्चों पर काम किया है:

ESIC चिकित्सा सेवा और हित लाभ दिलवाने में चोटग्रस्त श्रमिकों की मदद करना

बेहतर कार्य स्थान सुरक्षा और बेहतर ESIC सेवाओं के लिये उद्योग और सरकारों के साथ वकालत

श्रमिक सुरक्षा और ESIC कार्य पद्धति के बारे में श्रमिकों, उद्योग और अन्य हित धारकों में बेहतर जागरूकता के लिये प्रयास

Safe in India Foundation

SII ने अब तक लगभग 5 हज़ार चोटग्रस्त श्रमिकों की मदद की है, और करीब 35 करोड़ रुपये के ESIC हित लाभ दिलवाने में सफल रही है. कोविड सहायता क्षतिपूर्तिके मामले में जहाँ वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में केवल 1 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे, SII ने अगले 6 महीनों में कुछ सुधारों के साथ इसे 80 करोड़ रुपये के वितरण तक पहुँचाने में मदद की.

SII हर वर्ष दो वार्षिक रिपोर्टें जारी करती है- OEM नीतियों और आचार संहिता में सुधार लाने के लिये सेफ्टीनीति रिपोर्ट, और श्रमिकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के ज़मीनी आँकड़े और विश्लेषण, दुर्घटनाओं की वजहें और संपूर्ण सप्लाई चेन में सुरक्षा बेहतर करने के लिये सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये CRUSHED रिपोर्ट.

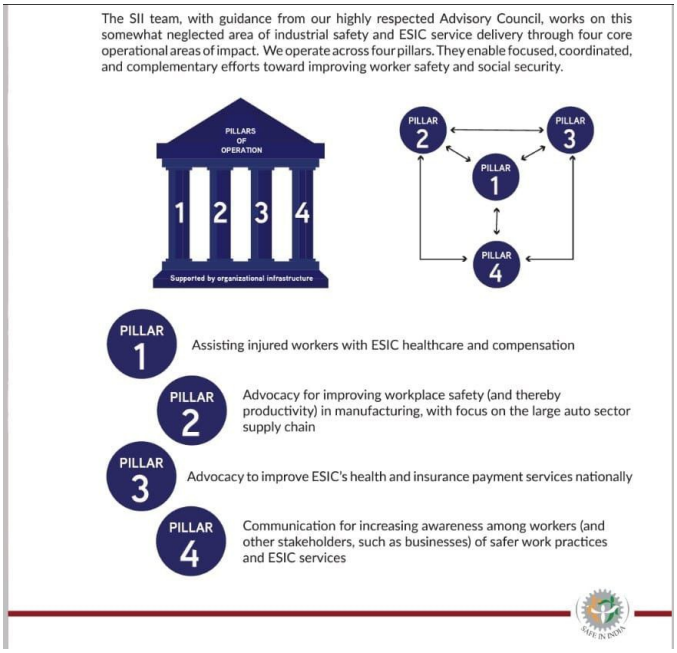

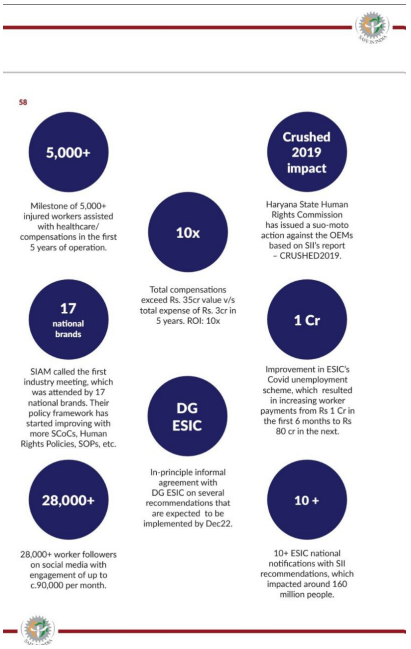

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन के सह संस्थापक स्संदीप सचदेवा ने कहा-

हम इस बात से उत्साहित हैं कि कुछ ऑटो सैक्टर ब्रांड ने इन गंभीर हादसों की रोकथाम के लिये सकारात्मक कदम उठाने शुरू किये हैं, विशेष रूप से मारुति-सुजुकी, हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो. हमें टाटा मोटर्स, हीरो मोटरसाइकिल्स, हुंडाई मोटर्स और आइशर के साथ हुई आरंभिक प्रगति से भी संतुष्टि मिली है. आशा करते हैं कि महिंद्रा और महिंद्रा, TVS और अशोक लीलैंड . भी जल्दी ही इस प्रयास से जुड़ेंगे. हम देश के इन शीर्ष दस ब्रांड का आवाहन करते हैं कि वे निजी रूप से और SIAM तथा ACMA के साथ मिल कर संयुक्त रूप से ज़मीनी तौर पर उठाये जाने वाले कदमों में तेजी लायें.

चित्रा खन्ना, सेफ्टी प्रमुख, सेफ इन इंडियाफाउंडेशन:

ऑटोमोबाइल उद्योग की सप्लाई चेन बहुत विस्तृत और गहरी है, इसमें OSH सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है जिसके लिये उद्योग को सामूहिक रूप से कोशिश करनी होगी. सरकार को एक सुदृढ़ प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की ज़रूरत है जहाँ श्रमिक असुरक्षित कार्य स्थितियों की जानकारी दे सकें और उनकी आवाज़ तुरंत सुनी जाये. हमें एक प्रभावी OSH हैल्पलाइन की ज़रूरत है जिसे उद्योग या सरकार या दोनों संयुक्त रूप से चला सकते

हैं. श्रमिक सुरक्षा व्यावसायिक कुशलता और उत्पादकता बेहतर करती है जो व्यवसाय में मुनाफा सुनिश्चित करता है.

प्रोफैसर सूर्य देव, स्कूल आफ लौ, Macquarie विश्वविद्यालय आस्ट्रेलिया, और संपादक, बिजनेस/ ह्यूमन राइट्स जरनल, ने कहा:

भारतीय वाहन उद्योग और राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों ही श्रमिक सुरक्षा के प्रति ज़िम्मेदार हैं. बंगलादेश सरकार के विनिर्माण उद्योग सुधारों ने दिखाया है कि OEM सम्पूर्ण सप्लाई चेन के प्रति ज़िम्मेदार हैं चाहे इसमें दस स्तर ही क्यों न हों. यदि सभी हित धारक गंभीरता पूर्वक साथ आयें तो बदलाव संभव है.

श्री दिनेश वेदपाठक, ACMA, ने भरोसा दिया, "इन हादसों को रोकने के लिये हम ऑटो सैक्टर सप्लाई चेन के कारखानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे. हमें पहले ही ऐसे 1000 से ज़्यादा कारखानों को बेहतर बनाने का अनुभव है. श्रमिक सुरक्षा व्यवसायों की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिये. इसके अनेक व्यावसायिक लाभ होंगे."

अधिवक्ता रामाप्रिया गोपालाकृष्णन, चेन्नई उच्च न्यायालय, ने कहा:

"चेन्नई में ऑटो सैक्टर सप्लाई चेन में हर वर्ष बड़ी संख्या में हादसे होते हैं. ज़्यादातर हादसों में अस्थायी श्रमिक जैसे अनुबंध श्रमिक, अकुशल श्रमिक और प्रशिक्षार्थी आदि शामिल होते हैं जिनके पास मशीनों पर काम करने का पर्याप्त अनुभव नहीं होता.

(ILO के) ILC जून 2022 ने एक संकल्प अपनाया जो C155 और C187 समझौतों को मूलभूत समझौते मानता है. भारत ने अभी तक इन समझौतों की पुष्टि नहीं की है.

मेरे विचार से भारत सरकार कानूनों को इन समझौतों में निहित सिद्धांतों के अनुवर्ती बनाने के लिये पुनः न्यायालय आने के लिये बाध्य है.

हमें कानून में बेहतर कार्य स्थान पर स्वास्थ्य और सुरक्षा OSH मानकों की ज़रूरत है. हमें बेहतर अनुपालन की भी ज़रूरत है, उदाहरण के लिये, निरीक्षण ILO के समझौता 81 के अनुसार होने चाहिये."

दिव्या वर्मा, निदेशक, सैंटर फार लेबर, आजीविका ब्यूरो, ने कहा, "हमारी सामाजिक सहमति पहल दिखाती है कि जब व्यवसायों के मालिक अपनी और अपनी सप्लाई चेन के श्रमिकों की कार्य स्थितियों में बदलाव करने का इरादा रखते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं. उदाहरण के लिये, सेफ इन इंडिया इस पहल के तहत फोर्ब्स मार्शल के साथ ESIC अनुपालन बेहतर बनाने के लिये काम करती है जिससे उनकी सप्लाई चेन में श्रमिकों को पहले से बेहतर ढंग से लाभ पहुँचाये जा सकें."

ज़्यादा जानकारी के लिये हमसे संपर्क करें-

team@safeinindia.org

Safe in India Foundation

इनसे संपर्क करें:

संदीप सचदेवा, सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेफ इन इंडिया फाउंडेशन- Sandeep.sachdeva@safeinindia.org

चित्रा खन्ना, सेफ्टी प्रमुख, सेफ इन इंडिया फाउंडेशन- chitra.khanna@safeinindia.org